

24.1.2020

आज वकील वाली द्वारा मिसल तलब प्राप्ता पर पत्रावली पेशी पर ली गई। वकील शाही मयशाही व अशाही। के हाजिर होकर पक्षकार के मध्य अपसी राजीनामा होने से शर्मा का 'नोटिस' पर खारिज करने का निवेदन किया। शाही वकील व शाही द्वारा प्रकृत चलान नहीं चाहते हैं आदि किया। अतः प्राप्ता खारिज किया जाता है मिसल फैंसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दायित्व बंधन हो

उपरोक्त अधिकारी  
सत्यापन जिला-अजमेर

नोटिस

24-1-20

शाही

24-1-20

